


फाइल सं. ए.12018/06/2020-कुष्ठ  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(सीसीडी अनुभाग)

विषय - केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चंगलपट्टु में थिएटर अटेंडेंट समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चंगलपट्टु में थिएटर अटेंडेंट समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं।  
[manojkumar.upadhyay29@gov.in](mailto:manojkumar.upadhyay29@gov.in)

  
(मनोज कुमार उपाध्याय)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली  
दिनांक

अधिसूचना

सा. का. नि..... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (समूह 'घ' पद), भर्ती नियम, 1992 जहां तक थिएटर अटेंडेंट पद का सम्बन्ध है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु में थिएटर अटेंडेंट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, थिएटर अटेंडेंट, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रोज्यता : ये नियम इन नियमों में संलग्न अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
थिएटर अटेंडेंट ।	*02(2022)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1, (18000/- 56900/- रु.) ।	लागू नहीं होता ।	18 से 25 वर्ष के बीच*  *अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के मामले में 18 से 27 वर्ष के बीच  (जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामलों में पैंतालिस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)।  <b>टिप्पणी 1:</b> आयु-सीमा का निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन या सहायक पाठ्यक्रम 3. संबंधित राज्य चिकित्सा/तकनीकी शिक्षानिदेशालय से ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन या सहायक पाठ्यक्रम। 4. संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।  <b>टिप्पणी 1:</b> अर्हताओं में उच्च अर्हताएं प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के दिशानिर्देशों पर छूट दी जा सकती है।  <b>टिप्पणी 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए

				<p>जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>अपेक्षित अभाव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	---

<p>क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ?</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।</p>	<p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।</p>	<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
--	--------------------------------------	---	---	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी पर रहने या अध्ययन अवकाश पर जाने अथवा अन्य परिस्थितियों के अधीन एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है;</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारित हों; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखते हैं।</p>	लागू नहीं होता ।	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर निदेशक (क्लिनिकल), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष</li> <li>2. सहायक निदेशक (सर्जिकल), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य</li> <li>3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य</li> <li>4. सहायक नर्सिंग अधीक्षक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य ।</li> </ol>	लागू नहीं होता ।

फा.सं. ए.12018/06/2020-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)  
अवर सचिव, भारत सरकार